

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात।

विज्ञप्ति

संख्या 958 / जि0आ0अ0 / दैनिक व्यवस्थापन / 2025-26 / का0दे0 / दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कानपुर देहात में निलम्बित देशी शराब दुकान अलियापुर (शॉप आई0डी0 28148) (दैनिक एम0जी0क्यू0- 62 ब0ली0) का दिनांक 20.12.2025 से दिनांक 02.01.2026 (14 दिवस) तक अथवा नियमित व्यवस्थापन तक, जो भी पहले हो, आफर के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्थापन किया जाना है।

दुकान चलाने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 18.12.2025 को 14:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(संजय यादव-11)
जिला आबकारी अधिकारी,
कानपुर देहात।

संख्या एवं दिनांक- यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात।
- 2- विज्ञापन व्यवस्थापक 01 दैनिक आन, 02 दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को दिनांक 17/12/2025 को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अल्प स्थान में प्रकाशित कर जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा दर सत्यापित कराकर बिल उपलब्ध करायें।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति जनपद की वेबसाइट <http://kanpurdehat.nic.in> पर अपलोड करायें।
- 4- सेवा प्रदाता (Oysis Cybernetcs Pvt LTD), लखनऊ, उत्तर प्रदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

(संजय यादव-11)
जिला आबकारी अधिकारी,
कानपुर देहात।